



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30122020-224003  
CG-DL-E-30122020-224003

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4183]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 30, 2020/पौष 9, 1942

No. 4183]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 30, 2020/PAUSHA 9, 1942

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2020

**का.आ. 4767(अ).**—यतः, केंद्रीय सरकार का यह मत है कि सम्पूर्ण नागालैंड राज्य की सीमा के भीतर आने वाला क्षेत्र ऐसी अशांत और खतरनाक स्थिति में है जिससे वहां नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग करना आवश्यक है।

2. अतः, अब, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 की संख्या 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्वारा, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए, सम्पूर्ण नागालैंड राज्य को 30 दिसम्बर, 2020 से छः माह की अवधि तक 'अशांत क्षेत्र' घोषित करती है।

[फा. सं. 7/10/2003-एन.ई.1]

पियूष गोयल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS  
NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 2020

**S.O. 4767(E).**—Whereas the Central Government is of the opinion that the area comprising the whole of the State of Nagaland is in such a disturbed and dangerous condition that the use of armed forces in aid of the civil power is necessary.

2. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (No. 28 of 1958) the Central Government hereby declares that whole of the State of Nagaland to be 'disturbed area' for a period of six months with effect from 30<sup>th</sup> December, 2020 for the purpose of the said Act.

[F. No.7/10/2003-NE.1]

PIYUSH GOYAL, Jt. Secy.